

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ.सं.- 8 / ज.स.(नि.)रौंची-27 / 2007 :-

रौंची, दिनांक:-

आदेश

श्री अरुण कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज के पद पर पदस्थापन अवधि में बरती गई अनियमितता के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 703 दिनांक 24.02.09 द्वारा असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम 55 के विहित रीति से विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

2. श्री अरुण कुमार सिंह, तत् कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप गठित किये गये हैं:-

आरोप:-

(क) श्री सिंह, जब कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज के प्रभार में थे तो इनके द्वारा गंगापुर उप वितरणी के वि. दु. 14.75 पर कार्यो को विशिष्टि के अनुरूप नहीं कराया गया। जाँच में उक्त वि. दु. पर निर्मित जल प्रपात का निर्माण कार्य काफी घटिया पाया गया। प्रपात के डाउन स्ट्रीम क्रेस्ट स्लोप के बीचों बीच होल पाया गया।

(ख) पी. सी. सी. के नीचे ईट सोलिंग स्पष्ट दृष्टिगोचर हुआ। पी. सी. सी. की मोटाई रूपांकन के अनुसार 2'10" के स्थान पर मात्र 6" पाया गया।

(ग) प्रपात के डाउनस्ट्रीम भाग में जमा हुआ फ्रिक्शन ब्लॉक बहुत झुका हुआ तथा टेढ़ा मेढ़ा पाया गया।

(घ) प्लास्टर एवं पनिंग झड़ा हुआ पाया गया। प्रपात के डाउन स्ट्रीम क्रेस्ट स्लोप में पी. सी. सी. की कम मोटाई में ढलाई कर स्वीकृत आलेख के अनुसार भुगतान कर दिया गया।

3. श्री सिंह के दिनांक 31.01.2014 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सरकार द्वारा उपरोक्त नियम 55 के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय आदेश ज्ञापांक 4121 दिनांक 04.08.2015 द्वारा पेंशन नियमावली के नियम 43 बी. में सम्परिवर्तित किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी ने जाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह के बचाव बयान को काल्पनिक तथ्यों पर आधारित बताया है एवं श्री सिंह के बचाव बयान को अस्वीकार किया गया है। साथ ही श्री सिंह के विरुद्ध लगाये गये आरोपों कंडिका क, ख एवं घ में उल्लेखित अनियमितता के लिए इन्हें जिम्मेवार बताया गया है।

5. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की गहन समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री अरुण कुमार सिंह तत् कार्यपालक अभियंता सम्प्रति से. नि. को उक्त प्रमाणित आरोपो के लिए प्रस्तावित दण्ड देय पेंशन से 10 प्रतिशत की कटौती पाँच वर्षों के लिए द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

6. श्री सिंह तत् कार्यपालक अभियंता, सम्प्रति सेवा निवृत्त ने अपने द्वितीय कारण पृच्छा में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर प्रश्नचिन्ह खड़ा किया है। श्री सिंह द्वारा संचालन पदाधिकारी के मंतव्य को पूर्वाग्रह से ग्रसित होना बताया गया है एवं इस प्रकार के जाँच प्रतिवेदन पर कोई दण्ड देने के पूर्व पुनर्विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

7. श्री सिंह तत् कार्यपालक अभियंता सम्प्रति से. नि. से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री सिंह

कृ.पू.उ.

ने अपने द्वितीय कारण पृच्छा के साथ कोई नया तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि उनके विरुद्ध प्रमाणित आरोपो के संदर्भ में विचार किया जा सके।

अतः श्री अरुण कुमार सिंह, तत्. सहायक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत्त के द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

श्री अरुण कुमार सिंह को देय पेंशन से 10% की कटौती पाँच वर्षों के लिए।

अतएव एतद द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।
उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-

1474

राँची,

दिनांक:- 22-03-17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड
राँची/उप सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार पटना को पत्रांक 22/नि.सि.
(पू.01-13/2007-985 दिनांक 17.10.2007 के क्रम में/कार्य अभियंता सिंचाई
प्रमण्डल, मुरलीगंज/ उप सचिव (प्र.) ज. सं. विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी
प्रशाखा 02 जल संसाधन विभाग, राँची/ श्री अरुण कुमार सिंह, तत् कार्यपालक
अभियंता, सम्प्रति सेवानिवृत्त ग्राम+पो.-रहीमपुर (पंचखुट्टी), थाना+जिला-खगड़िया
(बिहार)/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Yinay
22/03/2017

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

4/3/17